"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2012—पौष 1, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-180/2007/वाक/पांच (59).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-3 के अनुक्रमांक 8 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य शासन एतदद्वारा उक्त प्रविष्टि के अंतर्गत निम्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल को अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का नाम (2)
(एक)	चारकोल को छोड़कर सभी प्रकार का कोल एवं कोक, जिसका उपयोग विद्युत/शक्ति उत्पादन में हो, जिसमें केप्टिव शक्ति उत्पादन संयंत्र शामिल है.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-180/2007/वाक/पांच (59).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-180/2007/वाक/पांच (59), दिनांक 17-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th December 2012

NOTIFICATION

No. F 10-180/2007/CT/V (59).—In pursuance of the provisions specified in column (2) of S. No. 8 of Schedule-III of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby notifies the goods specified in column (2) schedule below under the said entry, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of goods (2)
(i)	Coal and coke in all its forms, but excluding charcoal, used in generation of energy/ power including captive power plant.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.